स0सं0–16 / एच.1–38 / 2025 –

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक –

विषय– मकान किराया भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि डा० शैलेश कुमार, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधोपुर, पटना सदर, पटना द्वारा कार्यपालक अभियता, पटना सिटी पथ प्रमण्डल, पथ निर्माण विभाग, गुलजारबाग, पटना द्वारा निर्गत दूरी प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए मकान किराया भत्ता एव शहरी परिवहन भत्ता स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

शहरी परिवहन भत्ता वित्त विभागीय संकल्प संख्या–8043 / वि0, दिनांक–11.10.2017 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–6011, दिनांक–10.07.2023 के अनुसार पदस्थापन स्थल के अनुसार निर्धारित होता है। कार्यपालक अभियंता पटना सिटी पथ पमंडल के पत्रांक–547, दिनांक–15.02.2025 के अनुसार अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधोपुर, पटना सदर प्रखंड, पटना की दूरी पटना नगर निगम की परिसीमा से 7.50 किलोमीटर दूर है अर्थात् उक्त कार्यालय, पटना नगर निगम सीमा के बाहर है, ऐसी परिस्थिति में पटना नगर निगम के अनुसार परिवहन भत्ता अनुमान्य नहीं किया जा सकता है।

यद्यपि वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या–5678, दिनांक–13.06.1980 द्वारा जारी बिहार सरकारी कर्मचारी (मकान किराया भत्ता) नियमावली, 1980 के नियम 4 ख(II) मे निहित प्रावधान के अनुसार यदि किसी सरकारी सेवक का कार्य स्थल किसी अर्हक नगर के समीप हो, किन्तु अनिवार्यतः उसे नगर में रहना पडता हो तो उसे नगर के लिए अनुमान्य मकान भाडा भत्ता दिया जा सकेगा।

अतः वित्त विभागीय संकल्प संख्या–8043 / वि0, दिनांक–11.10.2017 के प्रावधानानुसार डा० शैलेश कुमार को दिनांक–20.07.2024 के पूर्वाह्न से पटना (U.A) का मकान किराया भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव मे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह० / –

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –16 / एच.1–38 / 2025 – 1472 (अ.स.) **पटना, दिनांक –** 28.9.2026

प्रतिलिपि– वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/9/2026

D \Annu ji\Letter.docx

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, पटना/सिविल सर्जन, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर प्रखण्ड, पटना/डा० शैलेश कुमार, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधोपुर, पटना सदर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/09/2016

सरकार के अवर सचिव